

आदेश


I

दिनांक-25.07.2022 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के निम्नलिखित आश्रित (क्रमांक 1-5) को अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाते हुए सिपाही के पद पर इनकी नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एक मामले (क्रमांक-6) में अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र० सं०	आश्रित का नाम/मृतक से संबंध	मृतक का नाम/पदनाम/पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	राहुल रौशन/ पुत्र	स्व० कपिलदेव महतो/पु०अ०नि०/ पटना	स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनके मामले पर भलीभांति विचारोपरान्त लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु इन्हें योग्य नहीं पाते हुए सिपाही के पद पर इनकी नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है।
2	अमन कुमार सिंह/पुत्र	स्व० कामेश्वर सिंह/ पु०अ०नि०/भोजपुर (आरा)	स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनके मामले पर भलीभांति विचारोपरान्त लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु इन्हें योग्य नहीं पाते हुए सिपाही के पद पर इनकी नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है।
3	अजय मणि/ पुत्र	स्व० बोध मणि झा/ लेखापाल/सुपौल	स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनके मामले पर भलीभांति विचारोपरान्त लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु इन्हें योग्य नहीं पाते हुए सिपाही के पद पर इनकी नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है।
4	गुंजन कुमार झा/पुत्र	स्व० उदय कान्त झा/हवलदार /मधेपुरा	स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनके मामले पर भलीभांति विचारोपरान्त लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु इन्हें योग्य नहीं पाते हुए सिपाही के पद पर इनकी नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है।
5	निशांत कुमार /पुत्र	स्व० प्रभात कुमार सिन्हा/पु०नि०/रेल जिला, मुजफ्फरपुर	सिपाही के पद पर इनकी नियुक्ति हेतु जिला अनुकंपा समिति अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करें। 1. जिला अनुकंपा समिति का वृत्त अप्राप्त है। 2. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है एवं नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहरांकन नहीं है।

6	धीरज कुमार हेनरी/पुत्र	स्व0 दीपक कुमार हेनरी/लिपिक/ सुपौल	जिला अनुकंपा समिति अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करें। 1. मृतक का एक पुत्र नियोजित शिक्षक हैं। 2. अनियोजन प्रमाण पत्र में मृतक के सभी आश्रितों का जिक्र नहीं किया गया है। 3. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है। 4. कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान का प्रमाण-पत्र छायाप्रति है।
---	---------------------------	--	--

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,


सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।


पत्र संख्या:-पी0-4/43-38-200-2021/.....203.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 02.03.2022

प्रतिलिपि :-

- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर/सुपौल/मधेपुरा/रेल जिला, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


21/8/22
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।

